उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-38/2017/178/92-2-17-10(जांच)/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 01 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-फिरोजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की महालेखाकार की सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिनांक 22-02-2016 से 27-02-2016 तक किये गये आडिट में परिलक्षित रू0 15,62,108.00 का अधिक व्यय करने, शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2017/178(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-1234/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/च0प्र0/2016-17 दिनांक 25-01-2017 के संदर्भ में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को अनुमोदित आरोप पत्र संलग्नक सहित (दो प्रतियों में) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- श्री संजय अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in